संसाधन पुस्तिका

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य

प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच में हों तथा वो इन सुविधाओं का लाभ बिना किसी प्रकार के भेद–भाव का सामना किए उठा सके, यह सरकार का प्रमुख दायित्व है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

प्रत्येक गाँव/शहर में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, अस्पताल, सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे है । जिसके अर्न्तगत् विभिन्न सुविधाएँ दी जाती हैं।

1.1 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

प्रत्येक गॉव/शहर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आवश्यक है। गॉव में होने वाले सभी जन्म व मृत्यु की जानकारी आशा व ऑगनवाडी कार्यकÙाा एकत्र करके सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को देती हैं तथा परिवार की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने यहॉ हुए सभी जन्म व मृत्यु की जानकारी आशा व ऑगनवाडी कार्यकÙाा को उपलब्ध करायें ।

सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक सभी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हैं । 2005 के बाद के सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन में करवाना अनिवार्य है व पंजीकरण प्रमाण पत्र निःशुल्क मिलता है, परन्तु उसके बाद शुल्क देकर प्राप्त करना होगा । 2005 से पहले हुए सभी जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण प्रमाण पत्र बादशाह खान. अस्पताल फरीदाबाद से मिलते हैं। जन्म होने के 12 महीने तक जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने में कोई शुल्क नही लगता है किंतु 12 महीने के बाद शुल्क देना होता है ।

विकलांग बच्चे का भी जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करना व करवाना आवश्यक है।

प्रक्रिया

यदि जन्म व मृत्यु अस्पताल में हुई हो, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र अस्पताल के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है । घर पर हुए किसी भी जन्म व मृत्यु की जानकारी, सम्बन्धित आशा कार्यकर्त्ता या ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्ता या फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय, बल्लभगढ़ को, परिवार को स्वयं देनी होगी तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र 21 दिन में प्राप्त करना होता है। विकलांग बच्चे का भी जन्म एवं विकलांग बच्चे/व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण इसी प्रकार होता है।

1.2 टीकाकरण

विभिन्न प्रकार के संक्रमण व बिमारियों से बचाव के लिए टीकाकाण अनिवार्य है। प्रत्येक बच्चे व गर्भवती महिला का टीकाकरण करने के लिए, ऑगनवाडी व आशा कार्यकर्त्ता, टीकाकरण के दिन ,जो कि सुनिश्चित होता है, घर–घर जा कर टीकाकरण की जानकारी देती हैं तथा टीकाकरण वाले दिन बच्चे व महिला को टीकाकरण केन्द्र पर बुलाकर भी लाती हैं । बल्लभगढ़ व फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में टीके रोजाना लगते हैं । विकलांग बच्चे व विकलांग गर्भवती महिला का भी टीकाकरण किया जाता है ।

प्रक्रिया

ऑगनवाडी /आशा कार्यकर्त्ता के द्वारा ,पंजीकृत गर्भवती महिला व बच्चे को टीकाकरण वाले सुनिश्चित दिन बुलाकर, टीकाकरण करवाया जाता है। इसके बाद भी जो गर्भवती महिलाऍ व बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, उनके घरों में जाकर टीकाकरण किया जाता है ।

1.3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

यह मिशन क्या है ?

जच्चा व बच्चा मृत्यु दर को रोकने ,संस्थागत प्रसव व उन दोनों के स्वास्थ्य के लिए आशा कार्यकÙा को प्रत्येक गॉव/शहर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् नियुक्त किया गया है । आशा कार्यकÙा किशोरी व बाल स्वास्थ्य को भी देखती हैं। प्रत्येक गाँव में जनसंख्या के आधार पर आशा कार्यकÙा की संख्या निर्धारित है। इनका कार्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाना है, नवजात शिशु की देखभाल व परेशानी होने पर रैफर करना है , अब इन्हें टी.बी के मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने से भी जोड़ा गया है। इनसे सम्बन्धित कोई जानकारी लेने के लिए या समस्या होने पर गाँव से सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक से सम्पर्क किया जा सकता है।

इनकी समन्वयक से भी सम्पर्क कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक श्रीमती सरिता जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौराली में सभी कार्य दिवसों में उपलब्ध होती हैं अथवा जिला समन्वयक मनजीत हुड्डा–9953498747 जो कि बादशाह खान अस्पताल में बैठती हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख योजनाएँ हैं –

1.3 अ. जननी सुरक्षा योजना

यह योजना क्या है ?

इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव होने पर 700 रूपये तथा घर पर प्रसव होने पर 500 रूपये मिलते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 1500रूपये मिलते हैं। विकलांग महिला/ परिवार भी इसमें शामिल हैं।

प्रकिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए, आशा कार्यकर्त्ता से सम्पर्क करना होगा जो कि गर्भधारण व प्रसव से सम्बन्धित सभी जानकारी एकत्र करके स्वास्थ्य विभाग को भेजती है तथा योजना की प्रोत्साहन राशि को महिला /परिवार को प्राप्त करने में सहायता करती है।

1.3 ब. जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

यह योजना क्या है ?

जच्चा–बच्चा मत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिला तथा नवजात शिशु को इस कार्यक्रम के तहत् कुछ निःशुल्क सुविधाएँ सरकारी अस्पताल में दी गई है जो इस प्रकार हैं :

गर्भवती महिला के लिए

- ✓ निःशुल्क प्रसव
- ✓ निःशुल्क c-section
- ✓ निःशुल्क दवाई व अन्य सामग्री
- ✓ निःशुल्क जॉच
- ✓ निःशुल्क भोजन संस्थान में भर्ती रहने तक
- ✓ निःशुल्क खून की व्यवस्था करना व चढ़ाना
- ✓ निःशुल्क वाहन घर से संस्थान तक
- ✓ निःशुल्क घर छोडना 48 घंटे भर्ती रहने पर

यह योजना गर्भवती विकलांग महिला के लिए भी है ।

नवजात शिशु के लिए

- ✓ निःशुल्क ईलाज
- ✓ निःशुल्क दवाई व अन्य सामग्री
- ✓ निःशुल्क जॉच
- ✓ निःशुल्क भोजन संस्थान में भर्ती रहने तक
- ✓ निःशुल्क खून की व्यवस्था करना व चढ़ाना
- ✓ निःशुल्क वाहन घर से संस्थान तक
- ✓ निःशुल्क वाहन संस्थान से रैफर होने पर
- ✓ निःशुल्क घर छोडना 48 घंटे भर्ती रहने पर

इस योजना में विकलांग शिशु भी आता है ।

1.3 स. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम क्या है ?

इस कार्यक्रम के तहत् नवजात शिशु में जन्मजात परेशानियों व बीमारियों की पहचान करना तथा रैफर करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का केन्द्र बी. के. (बादशाह खांन) अस्पताल में चल रहा है । यह ऑगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों व विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना है। इसमें 11 टीम है, हर टीम में 4–4 लोग हैं।

टीम के सदस्य

1 आयुर्वेदिक पुरूष चिकित्सक
2 आयुर्वेदिक महिला चिकित्सक
3 ए. एन. एम.
4 फॉर्मासिस्ट

प्रत्येक टीम अपने समय सारणी के अनुसार बल्लभगढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गाँव में ऑगनवाड़ी व सरकारी विद्यालयों में जाकर बच्चों की जॉच करती है। अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जैसे सर्दी, जुकाम ,बुखार हो तो कार्ड बनाकर दवा देते हैं।

यदि कोई विकलांगता या शारीरिक बनावट में कमी है तो कार्ड बनाकर बादशाह खान अस्पताल के लिए रैफर कर देते हैं ।

इसमें जाँच का विभाजन

- बीमारी –दवा (जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार)
- शारीरिक बनावट में कमी– क्लब फुट, क्लैफ्ट पेलेट,
- विकलांगता– विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की विकलांगता देखकर व पहचान कर सर्व शिक्षा अभियान को रेफर करते है। विकलांगता की जानकारी ले कर यह टीम सर्व शिक्षा अभियान को भेज देती है ताकि सर्व शिक्षा अभियान वाले जो विकलांग बच्चों को सुविधाएँ देते हैं वह मिल पाएँ।

डा0 गीता – बादशाह खान अस्पताल (सी.एम.ओ. कार्यालय) के साथ वाले कमरे – 9654124195
डा0 विशाल – कौराली
डा0 हरजिन्दर – खेड़ी कलॉ

बादशाह खान अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के तहत् सुविधा

- हड्डी– डा0 वन्दना – नियमित
- ऑख– मंगलवार, वीरवार, शनिवार
- नाक, कान व गला एवं स्पीच थैरेपिस्ट भी टीम के सदस्य हैं
- क्लब फुट की शल्य चिकित्सा
- क्लै¶ट पेलेट सर्जरी के लिए गुड़गॉव की संस्था में भेजते हैं ।

इसके अर्न्तगत् विकलांग बच्चे को सभी प्रकार की विकलांगता सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाओं को देने का प्रावधान है।

प्रक्रिया

ऑगनवाड़ी मे पंजीकृत बच्चे व विद्यालय में जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच व परेशानी कों जानने के लिए ये टीम प्रत्येक गॉव में जाती है तथा ऑगनवाडी व विद्यालय अध्यापकों से जिन बच्चो को परेशानी या विकलांगता है उनकी जानकारी

प्राप्त करती है तथा उन बच्चो को पहले केन्द्र व विद्यालय में देखती है फिर अन्य बच्चो की जॉच करती है तथा विशेष जॉच व कार्यक्रम के लिए बी. के. (बादशाह खांन) अस्पताल भी बुला लेती है । अध्यापक, ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के पास उनका सम्पर्क नम्बर होता है जिससे कि किसी नई परेशानी/ विकलांगता के बारे में बताया जा सके । इसमें विकलांग बच्चों की जॉच,कार्यक्रम व दवाई मिलना शामिल है।

1.3 द. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम क्या है ?

यह कार्यक्रम 10–19 वर्ष के आयु वर्ग के लडके व लडकियों के स्वास्थ्य व किशोरावस्था से जुड़े मुद्दो के समाधान के लिए है । इसमें साप्ताहिक लौह व फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। यह गोली विद्यालयों में पढने वालो को, विद्यालय में ही सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों के द्वारा खिलायी जाती है तथा अन्य को आशा कार्यकर्त्ता के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इसमें व्यवहार व शारीरिक बदलाव सम्बन्धी बातों पर चर्चा व जागरूक करना भी शामिल है। यह कार्यक्रम विकलांग किशोरों के लिए भी है ।

1.4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। यहॉ पर सभी प्रकार की छोटी बिमारियों व चोट का उपचार किया जातां है व दवा दी जाती है तथा प्रसव कराने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जानवरों के काटने पर इन्जेक्शन लगाए जाते हैं , प्रयोगशाला भी है जिसमें कुछ जॉच होती है तथा छोटे स्तर की आपातकाल सुविधा भी है। ऑखो की जॉच होती है व मानसिक बीमारी सम्बन्धित डॉक्टरों के देखने की भी व्यवस्था है जो की निर्धारित दिन व समय के अनुसार होती है । बड़ी बीमारियें के लिए प्राथमिक उपचार करने के बाद व्यापक ग्रामीण परियोजना बल्लभगढ, एम्स व बादशाह खान अस्पताल में रैफर किया जाता है।

प्रकिया

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक को दिखाने के लिए पहले पंजीकरण कार्ड बनवाना पड़ता है जिसका शुल्क 2 रू है , उसके बाद पंजीकरण कार्ड को लेकर बाहय रोगी विभाग के कमरे में बैठे चिकित्सक के पास जाना होता है । चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई व जॉच के लिए सम्बन्धित कमरे में जाना होता है ।

यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए भी है ।

इनसे सम्बन्धित कोई जानकारी लेने या समस्या होने पर गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक से बात कर सकते हैं।

आशा कार्यकर्त्ता से सम्बधिंत किसी भी जानकारी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्सक अथवा इनकी समन्वयक से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कौराली में ब्लॉक समन्वयक श्रीमती सरिता हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी ए. एन. एम. भी समय–2 पर गाँव में आती है। इनसे सम्बन्धित कोई भी जानकारी लेने या कोई समस्या होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्सक से सम्पर्क किया जा सकता है। बल्लभगढ़ ब्लॉक में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है :

- ✓ दयालपुर –0129–2207112
- ✓ छॉयसा – डा0 आयुष – 0129–2209212
- ✓ मोहना – डा0 श्रुतिकान्त – 9212715230
- ✓ पन्हेड़ा खुर्द– डा0 राजेश, डा0 करन 9650266084
- ✓ हेल्थ ऐजुकेटर – विजेन्द्र– 9466971447

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौराली के तहत् बल्लभगढ़ ब्लॉक के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं तथा उनके तहत् जो गॉव आते हैं वो निम्नलिखित हैं :

कौराली–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

खेड़ीकलॉ

दयालपुर

(1) मुझेड़ी
(2) नवादा
(3) मछगर
(4) चन्दावली
(5) नरियाला
(6) सोतई
(7) दयालपुर कॉलोनी
(8) दयालपुर खेड़ा
(9) दयालपुर फफूंडा
(10) दयालपुर
(11) गढ़खेड़ा
(12) शाहपुर कलॉ
(13) बुखारपुर
(14) जुन्हेड़ा
(15) भटपुरा
(16) नहरावली
(17) मलेरना

छॉयसा

(1) छॉयसा
(2) छॉयसा झुग्गी
(3) फतेहपुर (बिल्लोच)
(4) अटाली
(5) मौजुपर
(6) पन्हेड़ा कलॉ
(7) जवा
(8) अहमदपुर
(9) लढ़ौली
(10) बहबलपुर

मोहना

(1) मोहना
(2) वलीपुर
(3) सागरपुर
(4) सुनपेड़
(5) पी.एम. डीग
(6) हीरापुर
(7) अटेरना
(8) डीग

पन्हेड़ा खुर्द

(1) हरफला
(2) नॉगला जोगिया
(3) जाजरु
(4) सिकरौना
(5) सीकरी
(6) प्याला
(7) भनकपुर
(8) जखोपुर
(9) बीजोपुर
(10) कबूलपुर
(11) फिरोजपुर कलॉ
(12) लदियापुर
(13) कैली
(14) शाहपुर खुर्द
(15) मौहला
(16) करनेरा
(17) समयपुर
(18) खन्दावली
(19) सीकरी खेड़ा
(20) पन्हेड़ा खुर्द

फतेहपुर तगा

कौराली – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तहत् जो गॉव है वो ये हैं–कौराली, चॉदपुर ,दलेलगढ़, बदरौला, पी. एम. बदरौला ,इमामदीपुर, शाहजहॉपुर, रायपुर, अलीपुर ,मन्झावली, अकबरपुर, मौजाबाद, शेखपुर ,घरौड़ा, घुड़ासन, बेला खादर ,अरूवा, एहसान नगर, नया गॉव, नई तोड़, साहुपुरा खादर, लतीपुर, दूलेपुर, फज्जूपुर और मोटुका–नॉगला ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –दयालपुर एवं छॉयसा अपने यहॉ आने वाले मरीजों को व्यापक ग्रामीण परियोजना, बल्लभगढ एम्स, को रैफर करते हैं तथा बल्लभगढ आगे एम्स, दिल्ली को भेजता है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहना एवं पन्हेड़ा खुर्द अपने यहॉ आने वाले मरीजों का बादशाह खान अस्पताल, फरीदाबाद में रैफर करता है तथा बादशाह खान अस्पताल, फरीदाबाद आगे सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली को रैफर करता है।

1.5 व्यापक ग्रामीण परियोजना बल्लभगढ़

यह स्वास्थ्य सेवायें ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को देने के लिये है। इनके द्वारा मेडिकल विद्यार्थियों को भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहॉं ओ.पी.डी. ,छोटी शल्य चिकित्सा व 35 बैड की सुविधाऍ उपलब्ध हैं।

सुविधाऍ निम्न प्रकार से हैं :

क्रमांक	अस्पताल में मिलने वाली सुविधा	कमरा नम्बर	बैठने का दिन व समय
(1)	सामान्य चिकित्सा	7, 8, 9, 10, 11	नियमित – प्रातः 9.30 से 1
(2)	शल्य चिकित्सा विभाग	19	नियमित (मंगलवार नहीं होती)
(3)	हड्डी विभाग	1	नियमित (मंगलवार नहीं होती)
(4)	दन्त विभाग	2	नियमित (मंगलवार नहीं होती)
(5)	नेत्र विभाग	3	मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार
(6)	स्त्री एवं प्रसूति विभाग	5	नियमित – प्रातः 9.30 से 1.00
(7)	जच्चा–बच्चा एवं गर्भवती महिलाओं की जांच	5	बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, दोपहर 1.00 से 4.00
(8)	नाक, कान, गला विभाग	13	बुधवार, शनिवार प्रातः 9.30 से 1.00
(9)	ENT (Audiometry)	22	शनिवार प्रातः (9.30 से 1.00)
(10)	मानसिक रोग विभाग	12	नियमित
(11)	होम्योपैथी विभाग	15	नियमित
(12)	तम्बाकू मुक्ति परामर्श	पंजीकरण कक्ष–1	नियमित
(13)	चमड़ी रोग विशेषज्ञ	13	मंगलवार

(14)	असंक्रमणीय रोग	7–11	सोमवार दोपहर 2 बजे
(15)	पट्टी वाला कक्ष	4	नियमित
(16)	ECG	13	नियमित
(17)	एक्स–रे एकीकृत परामर्श जांच केन्द्र (CTC)		18 नियमित
(18)	दवाऍं	4	नियमित
(19)	डाट्स सेंटर	गेट न0 2 के पास	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, प्रातः 9 से 11

मोतिया बिन्द

मोतिया बिन्द व आपातकालीन शल्य चिकित्सा निःशुल्क है बाकी शल्य चिकित्सा के लिए शल्य सामग्री खरीदनी होती है।

बाल कल्याण

बाल कल्याण	टीकाकारण	नियमित	प्रातः 9 से 11.00
बाल कल्याण	ओ.पी.डी.	नियमित	प्रातः 9 से 1.00
0–14 साल (इमरजेन्सी या आपातकालीन वाले कमरे के साथ)			
शल्य चिकित्सक		बुधवार	प्रातः 9 से 1.00

प्रयोगशाला	20	नियमित	
चिकित्सा समाज सेवी	पंजीकरण कक्ष	नियमित	प्रातः 9 से 4
(गरीब मरीजों के लिए)	कमरा न.0 1		
एम्बुलेन्स	नम्बर – 0129–2417798		

प्रक्रिया

चिकित्सक को दिखाने के लिए पहले पंजीकरण कार्ड बनवाना पड़ता है जिसका शुल्क 2 रू है ,उसके बाद पंजीकरण कार्ड को लेकर सम्बन्धित बाह्य रोगी विभाग के कमरे में बैठे चिकित्सक के पास जाना होता है । चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई व जॉंच के लिए सम्बनधित कमरे में जाना होता है ।

यह सभी सुविधाऍं विकलांग बच्चों, व्यक्तियों, महिलाओं, वृद्धों के लिए भी हैं ।

1.6 बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद

बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल है तथा फरीदाबाद का जिला अस्पताल भी है। यह 200 बैड का अस्पताल है जिसमें ओ.पी.डी. व कुछ अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध है तथा एक आपातकालीन विभाग भी है। बडी व कठिन बीमारियों के लिए राज्य के रोहतक पी. जी. आई. व दिल्ली के एम्स व सफदरजंग अस्पताल में रैफर करते हैं ।

सुविधाएँ निम्न प्रकार से हैं :

पंजीकरण समय		डाक्टरी जाँच
प्रातः 7.30 से 1.30	16 अप्रैल से 15 अक्टूबर	प्रतिदिन प्रातः 8 से 2 बजे तक सोमवार से शनिवार
प्रातः 8.30 से 2.30	16 अक्टूबर से 15 अप्रैल	प्रतिदिन प्रातः 9 से 3 बजे तक सोमवार से शनिवार

क्रमांक	सुविधाएँ	कमरा न0	मंजिल
(1)	सामान्य दवा व ओ.पी.डी.	7, 8	भूतल
(2)	शल्य चिकित्सा विभाग	18	भूतल
(3)	महिला एवं प्रसूति विभाग	9, 10	भूतल
(4)	बाल विभाग	3	भूतल
(5)	नेत्र विभाग	3	भूतल
(6)	नाक, कान एवं गला विभाग	17	भूतल
(7)	चर्म विभाग	5	भूतल
(8)	मानसिक रोग विभाग	2	भूतल
(9)	हड्डी विभाग	19	भूतल
(10)	दन्त विभाग	16, 20	भूतल
(11)	छाती / टी. बी. विभाग	6	भूतल
(12)	आपातकालीन विभाग	7	भूतल
(13)	भौतिक चिकित्सा विभाग	31	भूतल
(14)	Bio Chemistry विभाग	12 (24x7)	भूतल
(15)	Homology विभाग	12 (24x7)	भूतल

(16)	Urine Analysis विभाग	13	भूतल
(17)	एक्स रे विभाग	26 (24x7)	भूतल
(18)	अल्ट्रासाउन्ड	32 (9 to 3)	भूतल
(19)	*एम. आर. आई. व सी. टी. स्कैन*	(24x7)	भूतल
(20)	ई. सी. जी.	प्रत्येक दिन प्रातः9 से 3 बजे, कमरा न- 25	भूतल
(21)	Holter + ABP	बुध, शुक्र प्रातः 9 to 3, कमरा न- 302	तीसरा तल
(22)	ECHO	प्रत्येक दिन प्रातः 1 to 3 बजे, कमरा न- 303	तीसरा तल
(23)	TMP	बुध, शुक्र प्रातः 9 to 3 बजे कमरा न- 308	तीसरा तल

यह सभी सुविधाएॅ विकलांग बच्चों, व्यक्तियों, महिलाओं, वृद्धों के लिए भी हैं ।

एम. आर. आई. व सी. टी. स्कैन की सुविधा

बादशाह खान अस्पताल , एम. आर. आई. व सी. टी. स्कैन के लिए फोकस एम. आर. आई. सेन्टर भेजते हैं, क्योंकि यह सुविधा बादशाह खान अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

बी. पी. एल. ,गरीब, विकलांग लोगों, अनुसूचित जाति के लोगो के लिए एम. आर. आई. व सी. टी. स्कैन की दरें इस प्रकार है :

		सी. टी. स्कैन	एम. आर. आई.
(1)	सिर	720 रूपए	1900 रूपए
(2)	गला	1280 रूपए	2560 रूपए
(3)	छाती	1440 रूपए	2020 रूपए
(4)	पूरे पेट	2300 रूपए	4040 रूपए

हेल्प लाईन – 0129–2426242

कार्यालय – 9811093891

24 घंटे पूरे सप्ताह

अन्य सुविधाएॅ

विकलांगता प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के मेडिकल प्रमाण पत्र, रेल व बस के रियायती प्रमाण पत्र, विकलांगता पुर्नवास केन्द्र, इन सभी सुविधाओ के लिए 5 रू का पंजीकरण शुल्क है।

प्रकिया

चिकित्सक को दिखाने के लिए पहले पंजीकरण कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसका शुल्क 5 रू है, उसके बाद पंजीकरण कार्ड को लेकर सम्बन्धित बाg~य रोगी विभाग के कमरे में बैठे चिकित्सक के पास जाना होता है। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई व जॉच के लिए सम्बन्धित कमरे में जाना होता है ।

विकलांगता प्रमाण पत्र बनने की प्रकिया

- विकलांगता प्रमाण पत्र प्रत्येक महीने के हर बुधवार को बनते हैं ।
- विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थी का राशन कार्ड में नाम अवश्य होना चाहिए । अब आधार कार्ड भी चल रहा है। राशन कार्ड पर वर्तमान वर्ष की मोहर लगी हो व प्रार्थी के दो पासपोर्ट आकार के फोटो होने चाहिए तथा असल राशन कार्ड के साथ फोटो कॉपी भी चाहिए ।
- सर्व प्रथम बादशाह खान. अस्पताल में नई बिल्डिंग में पंजीकरण के स्थान से 5 रू का कार्ड बनवाकर पुरानी बिल्डिंग में कमरा न0 8 में जाकर राशन कार्ड दिखाकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने का फार्म लेना है।
- फार्म भरकर, फोटो चिपकाकर व प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा लगाकर कमरा न.0 2 में जाना होता है । वहीं से डॉक्टर अलग–अलग विकलांगता के आधार पर नाक,कान व गला, हड्डी , फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं । बहुविकलांगता में भी विकलांगता से सम्बन्धित अलग–अलग डॉक्टरों से मिलना होता है । वे लोग जॉच करके प्रतिशत देते हैं । पहले विकलांगता प्रमाण पत्र एक दिन में बनता था परन्तु अब हड्डियों वाले डॉक्टर 2 महीने की तारीख देते हैं। 2 महीने बाद फिर जाना पड़ता है , जो तिथि दी जाती है उसी तिथि पर जाना होता है ।

ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें

- विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने का समय प्रातः 9.00 बजे से 4.00 बजे तक है ।
- पंजीकरण पर्ची बनने का समय निर्धारित है ।
- कई बार डॉक्टर रोहतक के लिए भी रैफर कर देते हैं–विशेषकर मानसिक विकलांगता की जॉच के लिए । मानसिक विकलांगता में विकलांगता प्रमाण पत्र बनना, मानसिक विकलांग बच्चे या व्यक्ति के वहॉ पर करवाए गए टेस्ट के प्रर्दशन पर निर्भर करता है।
- ओडियोग्राम बादशाह खान. अस्पताल में नही होता है उसके लिए अलीयावर जंग में भेजते हैं (अलीयावर जंग सस्थान, प्लाट न. 44/ए , ब्लाक सी, सैक्टर 40, नोएडा ,साईं बाबा मंदिर के पास है)।

विकलांग पुर्नवास केन्द्र में सुविधा

विकलांग पुर्नवास केन्द्र से सुविधा प्राप्त करने के लिए बादशाह खान अस्पताल में पंजीकरण पर्ची के साथ कमरा नम्बर 35, लाल बिल्डिंग मे जाना है तथा वहॉ से अधिवास प्रमाण पत्र (रिहायशी)का फार्म लेना है तथा इस फार्म को सरपंच/राजपत्रित अधिकारी/स्थानीय निगम पार्षद से सत्यापित करवा कर जमा करना है। उसके बाद वहॉ सहारे का नाप लिया जाता है तथा दोबारा बुलाकर नया सहारा दिया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए श्री जयपाल, फोन नम्बर–9958763761 से सम्पर्क करें।

बादशाह खान अस्पताल के निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर अस्पताल में इलाज से सम्बन्धित समस्या का समाधान किया जा सकता है या शिकायत की जा सकती है।

डा. सुरेश चन्द्र**- PMO: 0129-2416169**

डा. नवीन गर्ग **- RMO: 9560711811**

पूछताछ . 0129.2414300

102 नम्बर फोन निःशुल्क एम्बुलेन्सं/रोगी वाहन के लिए

1.7 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ,संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना है । इसके अर्न्तगत् वे कर्मचारी आते हैं जिनकी मासिक आय 15000 रू से कम होती है । इसमें कर्मचारी 1.75 प्रतिशत तथा रोजगार दाता 4.75 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी पूर्ण उपचार के अतिरिक्त अपनी आय के अनुसार पैसे लेने के भी हकदार हैं यदि वे बीमारी के उपचार के कारण कार्य पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं ।

प्रक्रिया

सबसे पहले अपने पास के औषधालय ,जो कि कर्मचारी राज्य बीमा के अर्न्तगत् है, उससे पर्ची बनवाकर बड़े कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय जाना होता है। पंजीकरण का समय सुबह 9 से 1 बजे तक व शनिवार को 9 से 12.30 तक है। केवल कर्मचारी राज्य बीमा जिनका कटता है वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्ति के लिए पंजीकरण दोपहर 2 से 4 बजे तक तथा ओ. पी. डी. दोपहर 3 से 5 तक है।

बड़े कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में मिलने वाली सुविधाऍं निम्नलिखित हैं :

सुविधाऍं	स्थान	दिन
(1) मेडिसन व ओ.पी.डी.	भूतल	सोमवार से शनिवार
(2) मनोचिकित्सा ओ.पी.डी.	भूतल	सोमवार से शनिवार
(3) स्त्री रोग	भूतल	सोमवार से शनिवार
(4) छाती रोग	भूतल	सोमवार से शनिवार
(5) शिशु रोग	भूतल	सोमवार से शनिवार
(6) चर्म रोग	भूतल	सोमवार से शनिवार
(7) होम्योपैथी	भूतल	सोमवार से शनिवार
(8) आयुर्वेदिक	भूतल कमरा न0 15	सोमवार से शनिवार
(9) माईनर प्रक्रिया कक्ष	भूतल	सोमवार से शनिवार
(10) टीकाकरण कक्ष	भूतल कमरा न0 16	सोमवार से शनिवार

(11) फिस्टुला क्लीनिक	भूतल कमरा न0 16	शुक्रवार(दोपहर 2बजे से 4बजे तक)
(12) परिवार कल्याण	भूतल कमरा न0 16	सोमवार, शनिवार
(13) नेत्र रोग	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(14) हड्डी रोग एवं जोड़	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(15) दंत रोग	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(16) सर्जरी	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(17) योग विभाग	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(18) नाक, कान व गला	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार
(19) प्रयोगशाला	प्रथम तल	सोमवार से शनिवार

टोल फ्री नम्बर – 1800112526

जानकारी के लिए निम्न वैब साइट को देखें :

(1) www.esic.nic.in
(2) www.esic.in
(3) esichospitals.gov.in.

कर्मचारी राज्य बीमा के रैफर अस्पताल पार्क, सर्वोदय, मेट्रो व एशियन हैं। आवश्यकतानुसार रैफर करते हैं, यदि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में इलाज सम्भव है तो वे रैफर नहीं करते हैं।

संदर्भ सूची

स्वास्थ्य : बादशाह खान अस्पताल, राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल सैक्टर–8 , एम्स, बल्लभगढ़ के विभिन्न विभाग तथा पी. एच.सी. दयालपुर व मोहना और समेकित बाल विकास कार्यक्रम पंचायत भवन, बल्लभगढ़ व सैक्टर–12 के कार्यालय तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक व जिला स्तर के कार्यालय तथा वैब साइट www.haryanafood.gov.in ,www.wcdhry.gov.in ,www.harprathmic.gov.in , www.faridabad.nic.in, www.haryanhealth.nic.in , www.nrhmharyan.gov.in